**मध्यप्रदेश शासन**

**वित्त विभाग**

**मंत्रालय,भोपाल**

कमांक/1091/R-1295/15/व-1/चार                                        भोपाल दिनांक 03/10/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

के समस्त विभाग, भोपाल।

विषयः-म.प्र.शासन वित्त विभाग के अंतर्गत आई.एफ.एम.आई.एस. परियोजना के अंतर्गत एम्प्लाई सेल्फ सर्विस एवं सर्विस मेटर मॉड्यूल विषयक।

संदर्भः-संचालनालय कोष एवं लेखा का पत्र कमांक/डी.टी.ए./IFMIS/ई.एस.एस/16/269 दिनांक 24.08.16 (प्रति संलग्न)

--0--

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (IFMIS) परियोजना का विकास वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय कोष एवं लेखा, द्वारा किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समस्त विभागों की ऐसी गतिविधियॉ जो वित्तीय एवं मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित है, को सम्मिलित किया गया है। इस परियोजना में 3 सब-सिस्टम के अंतर्गत 16-मॉड्यूल्स को शामिल किया गया है (सूची संलग्न)। उनमें से ''एम्प्लाई सेल्फ सर्विस एवं ''सर्विस मेटर'' मॉड्यूल के माध्यम से कर्मचारी संबंधी गतिविधियों हेतु प्रकिया को सुगम, तीव्र पारदर्शी एवं पेपरलेस बनाने का दृष्टिकोण है। शासकीय सेवकों को उनकी सेवा से संबंधित विभिन्न व्यक्तिगत गतिविधियों को सम्पन्न करने हेतु ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। जैसे- कर्मचारी का स्वयं का विवरण, परिवार का विवरण, नामांकन विवरण, सभी प्रकार के अवकाश, यात्रा भत्ता,चिकित्सा, जी.पी.एफ अग्रिम/पार्टफायनल, विविध अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा चिकित्सा अग्रिम इत्यादि हेतु शासकीय सेवक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा एवं आवेदन की स्वीकृति प्रकिया सूचना ऑनलाइन होगी जिसका कर्मचारी ऑनलाइन स्टेटस चैक कर पायेगा। इस हेतु प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को लॉगिन आई-डी/पासवर्ड प्रदान किया जावेगा।

इसी प्रकार सर्विस मैटर मॉडयूल के अंतर्गत ऐसी समस्त गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जो शासकीय कर्मचारी के सेवा मामलों से संबंधित है, जिनका कियान्वयन कार्यालयों की स्थापना शाखाओं द्वारा किया जाता है, यथा शासकीय कर्मचारियों की भर्ती,उपस्थिति, पदोन्नति, प्रशिक्षण, रोस्टर, न्यायालयीन प्रकरण, विभागीय जॉच एंव अन्य समस्त स्थापना संबंधी विषयों को

सम्मिलित किया गया है। पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के जिला स्तर, संभाग स्तर एवं राज्य स्तर के रोस्टर भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित किया जाना संभव हो सकेगा। यह मॉड्यूल वेतन निर्धारण प्रकरणों हेतु कर्मचारी के ''विकल्प'' के चयन की सुविधा के साथ-साथ कार्यालय प्रमुखों को उनसे संबंधित शासकीय सेवक के वेतन निर्धारणों की स्वत: गणना की सुविधा देगा। इस व्यवस्था से नियमानुसार समय-सीमा में वेतन निर्धारण अनुमोदित हो सकेगा।

वर्तमान सॉफ्टवेयर (सी-एस.एफ.एम.एस) संचालित पे-रोल से इतर आई.एफ.एम.आई.एस के अतंर्गत संचालित पे-रोल को अन्य मॉड्यूल जैसे ई.एस.एस., सर्विस मेटर, पेंशन, रिसीट एण्ड डिस्बर्समेंट आदि मॉड्यूलों से इन्टीग्रेट किया गया है। परफार्मेन्स मेनेजमेंट मॉड्यूल के अंतर्गत विभागीय एवं कर्मचारियों के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये जाकर वर्ष के अंत में वार्षिक गोपनीय चरित्रवाली से संबंधित समस्त कार्यवाही ऑनलाइन की जायेगी। पेंशन मॉड्यूल समस्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के विषय में न केवल उचित समय पर अर्लट देगा साथ ही नियमानुसार देय भुगतानों को तैयार कर कोषालयों एवं जिला पेंशन कार्यालयों को प्रेषित करेगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ई.एस.एस मॉड्यूल को संचालनालय कोष एवं लेखा में 17.06.2016 से प्रारंभ कर दिया गया है एवं दिनांक 12.08.2016 से समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा कार्यालयों में भी इसे प्रारंभ किया जा चुका है। सर्विस मेटर मॉड्यूल, पे-रोल मॉड्यूल, एवं पेंशन मॉड्यूल भी लगभग पूर्णरूप से तैयार किये जा चुके है एवं संचालनालय स्तर पर इनकी टेस्टिंग जारी है, परीक्षण के पश्चात् इन मॉड्यूलों को भी चरणबद्ध रूप में विभिन्न कार्यालयों में प्रारंभ किया जाएगा।

संदर्भित पत्र द्वारा विभागाध्यक्षों को भी इस आशय से अवगत कराया गया है परन्तु यह देखने में आ रहा है कि कई विभागों द्वारा स्थापना संबंधी सॉफ्टवेयर तैयार करने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जा रहें है। जिससे कार्य का दोहराव होगा और निरर्थक व्यय होगा। अत: अनुरोध है कि स्थापना संबंधी विषयों के सॉफ्टवेयर संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के पूर्व आयुक्त कोष एवं लेखा से अभिमत प्राप्त करें। इस विषय पर विस्तृत जानकारी हेतु संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र., से निम्न अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है :-

1- आयुक्त कोष एवं लेखा - (0755) 2676020

2- अपर संचालक कोष एवं लेखा - (0755) 2676021

अन्य सभी मॉड्यूल शीघ्र ही प्रारंभ किए जाएगें। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सभी मॉड्यूल परस्पर इन्टीग्रेटेड है। अत: विभागों द्वारा पृथक से सॉफ्टवेयर विकसित करने पर कोषालय सॉफ्टवेयर(IFMIS) से इन्टीग्रेट करने पर कठिनाई होगी।

सचिव

वित्त विभाग

IFMIS Modules

1. Plan
2. Budget
3. Internal Audit
4. Receipt and Disbursement
5. Strong Room
6. Debt Management
7. Deposits
8. Project Management
9. Web Portal
10. Purchase Inventory
11. General ledger and asset accounting
12. Employee Self Service
13. Service Matter
14. Performance Management
15. Payroll
16. Pension